

प्रेस नोट दिनांक 06.12.2024 जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली देहात-

स्वॉट/सर्विलांस व प्र0नि0 कोतवाली देहात द्वारा किया गया फर्जी लोकसेवक/फ्रॉड गिरफ्तार

- पीएमओ ऑफिस का अधिकारी बताकर थाना प्रभारियों/ कर्मियों पर अपना रौब दिखाकर काम कराने का बनाता था दबाव
- फर्जी वेबसाइट बनाकर युवाओं को नौकरी का झांसा देकर/ बायोडाटा लेकर किया जाता था शारीरिक शोषण व पैसे का लेन-देन
- SO/SHO को गैलेण्ट्री पदक, प्रमोशन व थानों का चार्ज दिलाने का प्रलोभन देकर प्राप्त करता था अनुचित लाभ
- उच्चाधिकारियों को निमंत्रण देकर अपने प्रति विश्वास व शोहरत हासिल करता था
- 02 फर्जी आईडी कार्ड, 02 मोहर फर्जी, 04 मोबाइल फोन (03 एण्ड्राइड फोन व 01 कीपैड फोन), 01 बैंक चेक तथा 5200/- रूपये नकद बरामद
- 01 थार गाड़ी बरामद (अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज)
- भुपियामऊ ओवरब्रिज के नीचे से गिरफ्तार किया गया
- बरामद मोबाइल में भी पाई गई आपत्तिजनक फोटो, जिसका अवलोकन कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी
- अन्तर्गत धारा 204, 319(2, 318(2), 338, 336(2), 340(2) बीएनएस में दर्ज किया गया अभियोग

प्रतापगढ़ ।

दिनांक 06.12.2024 को स्वॉट टीम/ सर्विलांस टीम तथा कोतवाली देहात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से इलेक्ट्रॉनिक/भौतिक साक्ष्यों के आधार पर कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत भुपियामऊ ओवर ब्रिज के नीचे से एक थार वाहन सहित एक फर्जी लोकसेवक बनकर ठगी करने व पुलिस अधिकारियों पर अपना रौब दिखाकर अनुचित लाभ हेतु अपराध कारित करने वाला फ्रॉड गिरफ्तार किया गया । फर्जी लोकसेवक के कब्जे से कूटरचित दस्तावेज बरामद किये गये ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी) दुर्गेश कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व व क्षेत्राधिकारी नगर शिव नारायण वैश के मार्गदर्शन/पर्यवेक्षण में कानून-व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा निरन्तर क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर संदिग्ध व्यक्तियों/ वांछित वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चेकिंग अभियान चलाकर चेकिंग की जा रही है ।

इसी क्रम में आज दिनांक 06.12.2024 को स्वॉट टीम प्रभारी उ0नि0 सुनील कुमार यादव मय हमराह व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात अभिषेक कुमार सिरोही मय हमराह द्वारा इलेक्ट्रॉनिक/भौतिक साक्ष्यों के आधार पर भुपियामऊ ओवर ब्रिज के नीचे से एक थार वाहन सहित एक फर्जी लोकसेवक बनकर ठगी करने वाले व पुलिस अधिकारियों पर अपना रौब दिखाकर अनुचित लाभ लेने हेतु अपराध कारित करने वाला 01 फ्रॉड व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया । फर्जी लोकसेवक के कब्जे से 02 फर्जी आईडी कार्ड, 02 मोहर फर्जी, 04 मोबाइल फोन (03 एण्ड्राइड फोन व 01 कीपैड फोन), 01 बैंक चेक तथा 5200/- रूपये नकद बरामद किया गया । वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया ।

गिरफ्तारी /बरादमगी के आधार पर थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0 377/24 धारा 204, 319(2, 318(2), 338, 336(2), 340(2) बीएनएस बनाम अभियुक्त जय प्रकाश पाठक पुत्र लक्ष्मी नारायण पाठक उम्र करीब 31 वर्ष निवासी ग्राम रघईपुर रेडीगारापुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ पंजीकृत किया गया है । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण –

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं अपने को पीएमओ कार्यालय का अधिकारी बताकर अधिकारियों पर काम कराने का दबाव डालता हूँ और अनुचित लाभ लेता हूँ । अपने घर पर निमंत्रण का प्रोग्राम कर अधिकारियों को बुलाता हूँ । ताकि आम

लोगों को इस भ्रम में डाल सकूँ कि हमारा जिले के बड़े-बड़े अधिकारियों से पहचान है और रूतबा बना रहे। एसएचओ को देहात से दिनांक 02.12.2024 को फोन करके खुद को अधिकारी बताकर पोस्टिंग कराने का प्रलोभन दिया था। प्रभारी निरीक्षक पट्टी को पीएमओ ऑफिस का अधिकारी बताकर रौब दिखाकर काम कराने का प्रलोभन दिया था। इसी प्रकार फर्जी आईडी व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी वेबसाइट बनाकर युवा-युवतियों को भी प्रलोभन देकर उनको मल्टीनेशनल कम्पनियों में नौकरी लगवाने का झाँसा देकर ठगता हूँ और धन कमाता हूँ। जिससे अपने शौक पूरे करता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम –

1- जय प्रकाश पाठक पुत्र लक्ष्मी नारायण पाठक उम्र करीब 31 वर्ष निवासी ग्राम रघईपुर रेडीगारापुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- 02 फर्जी आईडी कार्ड, 02 मोहर फर्जी, 04 मोबाइल फोन (03 एण्ड्राइड फोन व 01 कीपैड फोन), 01 बैंक चेक तथा 5200/- रुपये नकद बरामद, 01 थार गाड़ी (यूपी 32ईजी 8147) बरामद

पुलिस टीम-

स्वॉट/सर्विलांस टीम- स्वॉट टीम प्रभारी उ0नि0 सुनील कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 दिनेश सिंह, हे0का0 पंकज दूबे, का0 प्रवीण कुमार, का0 श्रीराम सिंह, का0 जागीर सिंह, का0 सनोज कुमार, का0 राजेन्द्र कुमार, का0 संजय सिंह, का0 आशुतोष पाण्डे।

थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम - प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात अभिषेक कुमार सरोही मय हमराह उ0नि0 राहुल कुमार, उ0नि0 अनीश कुमार यादव, का0 कृष्णकान्त, का0 विजय बहादुर

थाना कुण्डा -

- अपहरण व दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- उ0नि0 रविशंकर तिवारी थाना कुण्डा द्वारा की गई गिरफ्तारी
- अन्तर्गत धारा 87, 70, 115(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त अनित सरोज गिरफ्तार
- लरू लाखीपुर मनगढ़ तिराहा से गिरफ्तार किया गया

प्रतापगढ़।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार व एसपी(पश्चिमी) संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा अजीत कुमार सिंह के कुशल मार्गदर्शन में आज दिनांक 06.12.2024 को थाना कुण्डा से उ0नि0 रविशंकर तिवारी मय हमराह द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अन्तर्गत धारा 87, 70, 115(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त अनित सरोज पुत्र छेदीलाल सरोज निवासी ग्राम लरू थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को लरू लाखीपुर मनगढ़ तिराहा से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

अनित सरोज पुत्र छेदीलाल सरोज निवासी ग्राम लरू थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

गिरफ्तारी टीम-

उ0नि0 रविशंकर तिवारी मय हमराह का0 विनोद कुमार, का0 प्रवीण कुमार

थाना कुण्डा-

- उ0नि0 रविशंकर तिवारी द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार
- वाद संख्या- 221/11 अ0सं0- 107/16 धारा 302, 34 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में वारण्टी गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना कुण्डा से उ0नि0 रविशंकर तिवारी मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी के दौरान वाद संख्या- 221/11 अ0सं0- 107/16 धारा 302, 34 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में 02 वारण्टी को गिरफ्तार किया गया।

वारण्टी अभियुक्तों का विवरण-

- 1-बंशीलाल पुत्र चैतू लाल निवासी महमूदपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़
- 2-रामहर्ष पुत्र दुखीराम निवासी महमूदपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना संग्रामगढ़-

-थाना संग्रामगढ़ से उ0नि0 जितेन्द्र सिंह द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में दिनांक 06.12.2024 को उ0नि0 जितेन्द्र सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र /तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान एसटी नं0 280/12 अ0सं0 211/11 धारा 323, 504, 506, 427 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त बेनी माधव पुत्र बैजनाथ यादव निवासी ग्राम नौदिया थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार वारण्टी का नाम-

बेनी माधव पुत्र बैजनाथ यादव निवासी ग्राम नौदिया थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोहंडौर –

-हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

-उ0नि0 विवेक कुमार यादव द्वारा अभियुक्त के घर दबिश देकर की गई गिरफ्तारी

प्रतापगढ़ ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर शिव नारायण वैश के पर्यवेक्षण में थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

आज दिनांक 06.12.2024 को थानाध्यक्ष कोहंडौर राधेश्याम के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह द्वारा तलाश वांछित वारण्टी एवं विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0- 146/24 धारा 109(1), 115(2), 352 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त सुनील वर्मा पुत्र लल्लन वर्मा निवासी ग्राम लोहारन का पुरवा चन्दौका थाना कौहंडौर जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

1-सुनील वर्मा पुत्र लल्लन वर्मा निवासी ग्राम लोहारन का पुरवा चन्दौका थाना कौहंडौर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम-

उ0नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह उ0नि0 सुजीत कुमार यादव, का0 राहुल कुमार थाना कौहंडौर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना फतनपुर –

छेड़खानी के प्रकरण में दर्ज अभियोग में वांछित अभियुक्त गोरेलाल यादव गिरफ्तार

-स्कूल पढ़ने जा रही नाबालिक लड़की के साथ छेड़खानी करने के आरोप में दर्ज अभियोग में वांछित अभियुक्त पर थाना फतनपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही

-मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत महिला संबंधी अपराधों पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत त्वरित व कड़ी कार्यवाही करने हेतु एसपी प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा दिये गये हैं सख्त निर्देश

-अन्तर्गत धारा 75 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत पटहटिया नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया

प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिला संबंधित अपराधों पर त्वरित एवं सख्त कार्यवाही करने हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 06.12.2024 को थाना फतनपुर पुलिस द्वारा सरहंग एवं आपराधिक किस्म का मनबढ़ अभियुक्त गोरेलाल यादव को स्कूल पढ़ने जा रही नाबालिक लड़की के साथ छेड़खानी करने के आरोप में दिनांक 06.12.2024 को दर्ज अभियोग अन्तर्गत धारा 75 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट में त्वरित कार्यवाही कर गिरफ्तार कर लिया गया ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी रानीगंज विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 06.12.2024 को थाना फतनपुर से उ०नि० अमरबहादुर सिंह मय हमराह द्वारा अन्तर्गत धारा 75 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त गोरेलाल यादव उर्फ विनय कुमार यादव पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी ग्राम पटहटिया थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत पटहटिया नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम –

1- गोरेलाल यादव उर्फ विनय कुमार यादव पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी ग्राम पटहटिया थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम –

उ०नि० अमरबहादुर सिंह मय हमराह का० आशुतोष तिवारी थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना रानीगंज-

-उ०नि० हरिमोहन राजपूत द्वारा ०१ वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में थाना रानीगंज से उ०नि० हरिमोहन राजपूत मय हमराह का० संतोष सिंह, का० प्रदीप यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, एसटी नं०- 6332/04 अ०सं०- 272/87 अन्तर्गत 457, 380 भादवि से संबंधित एक वारण्टी अभियुक्त रामकृपाल पुत्र भगवानदीन निवासी ग्राम सरायशेर खाँ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया ।

वारण्टी अभियुक्त का नाम-

रामकृपाल पुत्र भगवानदीन निवासी ग्राम सरायशेर खाँ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

थाना कन्धई

आपरेशन त्रिनेत्र

-ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार ग्राम नारायणपुर के सहयोग/ सौजन्य से अच्छी गुणवत्ता के लगवाये गये ०४ सीसीटीवी कैमरे

-आपराधिक वारदातों पर लगाम लगाने के लिए शुरू की गई आपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाये गये सीसीटीवी कैमरा

- थाना कन्धई क्षेत्रान्तर्गत कोहंडौर पट्टी मुख्य मार्ग नारायणपुर चौराहा पर लगवाये गये ०४ सीसीटीवी कैमरा

प्रतापगढ़ ।

सरकार द्वारा जीरो टॉलरेन्स नीति के तहत आपराधिक वारदातों पर लगाम लगाने एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से शुरू की गई है आपरेशन त्रिनेत्र अभियान । उच्चाधिकारीगण के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन

व अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी/पश्चिमी व समस्त क्षेत्राधिकारी के कुशल नेतृत्व में प्रतापगढ़ पुलिस आपरेशन त्रिनेत्र के तहत लोगों को अपने दुकानों आदि स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने हेतु निरन्तर अभियान चलाकर जागरूक कर रही है।

सीसीटीवी कैमरों की मदद से आपराधिक वारदातों की वीडियो फुटेज संकलित कर जहाँ शांति अपराधियों की पहचान करना आसान हो जाता है। वहीं अपराधियों में सीसीटीवी कैमरे लगे होने से डर बना रहता है। जिससे आपराधिक घटनाओं की रोकथाम में काफी मदद मिलती है।

इसी क्रम में आज दिनांक 06.12.2024 को प्रभारी निरीक्षक थाना कन्धई अवन कुमार दीक्षित के कुशल नेतृत्व से जनप्रतिनिधि/ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार ग्राम नारायणपुर के सहयोग/सौजन्य से क्षेत्रान्तर्गत कोहंडौर पट्टी मुख्य मार्ग नारायणपुर चौराहा पर स्थानीय लोग व व्यापारियों की सुरक्षा हेतु आपरेशन त्रिनेत्र के अन्तर्गत अच्छी गुणवत्ता के 04 सीसीटीवी कैमरा लगवाये गये हैं।

बयान – जनपद के सभी प्रिय नागरिक एवं व्यापारी बन्धुओं से अपील है कि अपने घरों, दुकानों आदि स्थानों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से अच्छी गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरा अवश्य लगायें। अपने सीसीटीवी कैमरों की क्रियाशीलता/स्थिति को समय-समय पर तकनीकी रूप से चेक करायें व सुरक्षित रहें, जागरूक बनें। जिससे कैमरा हमेशा चालू हालत में रहे।

-डॉ० अनिल कुमार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़।